रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 1985/आश्विन 18, 1907
No. 487] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 1985/ASVINA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विषाक्त आयुधन (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर 1985

आदेश

का आ 7191(अ)—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का आ 666(अ), तारीख 21 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त आदेश के संलग्न सारणी में, क्रम सं 12 से 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान

पर क्रमश निम्नलिखित अंक संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	विटामिन "सी"	टिकिया 100 मि ग्रा / टिकिया	100 की बोतल	8 59
23	विटामिन "सी"	टिकिया 100 मि ग्रा / टिकिया	1000 की बोतल	69 66
24	विटामिन "सी"	टिकिया 500 मि. ग्रा/ टिकिया	10 की स्ट्रिप/बोतल	3.29"

[संख्या 9(42)/85-डी-II]

डा आर वी वैद्यनाथ अय्यर

संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Government of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 10th October, 1985

ORDER

S.O. 739 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No.S.O. 666(E), dated the 24th August, 1981, namely :—

In the Table annexed to the said Order, for serial number 22 to 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22.	Vitamin 'C' Tablets	100 mg/tab.	100's Bottle	8 59
23.	Vitamin 'C' Tablets	100 mg/tab.	1000's Bottle	69 66
24.	Vitamin 'C' Tablets	500 mg/tab.	10's strip/ bottle	3.29

[No. 9(42)/85-D.II]

Dr. R. V. VAIDYANATHA AYYAR,

Jt. Secy. and Development Commissioner (Drugs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985